सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

1. अपील संख्याः 27/18 **निर्णय दिनांकः—09.05.2018**

1.	अनोप सिंह पुत्र रिछपाल सिंह	जाति राजपूत निवासी
2.	श्रीमती कुन्ता पत्नी रणसिंह	चानी तहसील कोलायत
3.	श्रीमती रामकंवर पत्नी रिछपाल सिंह	जिला बीकानेर।
4.	प्रेम कंवर पत्नी अनूपसिंह	

—अपीलांट्स

—बनाम—

1.	जीवणी पत्नी चतराराम	
2.	सुवटी पत्नी रामरख	जाति बिश्नोई निवासी नगरासर
3.	रामसुख पुत्र चतराराम	तहसील व जिला बीकानेर।
4.	महिपाल पुत्र रामरख	

—रेस्पोडेन्ट्स

2. अपील संख्या 28/18

1.	अनोप सिंह पुत्र रिछपाल सिंह	जाति राजपूत निवासी
2.	श्रीमती कुन्ता पत्नी रणसिंह	चानी तहसील कोलायत
3.	श्रीमती रामकंवर पत्नी रिछपाल सिंह	जिला बीकानेर।
4.	प्रेम कंवर पत्नी अनूपसिंह	

—बनाम—

1.	धाई पत्नी मोहनलाल	जाति बिश्नोई निवासी नगरासर
2.	जीवणी पत्नी चतराराम	तहसील व जिला बीकानेर।
3.	शारदा उर्फ समदा पत्नी भागीरथ	

3. अपील संख्या 29/18

1.	अनोप सिंह पुत्र रिछपाल सिंह	जाति राजपूत निवासी
2.	श्रीमती कुन्ता पत्नी रणसिंह	चानी तहसील कोलायत
3.	श्रीमती रामकंवर पत्नी रिछपाल सिंह	जिला बीकानेर।
4.	प्रेम कंवर पत्नी अनूपसिंह	

—बनाम—

1.	धाई पत्नी मोहनलाल	जाति बिश्नोई निवासी नगरासर
2.	समदा पत्नी भागीरथ	तहसील व जिला बीकानेर।
3.	मांगीलाल पुत्र मोहनलाल	
4.	सुशील उर्फ सुनील पुत्र भागीरथ	

अपीलें विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 14—02—2017
उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

उपस्थितः—

1. श्री उमाशंकर व्यास, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 14—02—2018 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीक से वादीगण/रेस्पोडेन्ट का वाद स्वीकार किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. तीनों अपीलों में निर्णय किये जाने योग्य वैधानिक प्रश्न समान है इसलिए इन दोनों अपीलों को एक ही कोमन निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। इस निर्णय की एक–एक प्रति उपरोक्त तीनों पत्रावलियों पर रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने तीनों अपीलों में कॉमन बहस करते हुए कथन किया ग्राम चानी के खेत खसरा नम्बर 158 मीन तादादी लगभग 650 बीघा भूमि थी जो भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सेटलमेंट के दौरान गलत नम्बर पैमूद हो गये। उक्त तथ्य पटवारी रिपोर्ट दिनांक 27–06–2010 द्वारा बखूबी साबित है। उक्त रिपोर्ट पटवारी द्वारा वादीगण संख्या 1 के पति की उपस्थिति एवं मौका पड़ौसियों की उपस्थिति में तैयार की गई थी। वादीगण द्वारा जो भूमि बताई जा रही है व गलत व मनगढ़त है व वर्तमान में उक्त भूमि के संबंध में सीमा ज्ञान का विवाद चल रहा है। तहसीलदार कोलायत की रिपोर्ट दिनांक 27–06–2010 में जो भूमि बताई गई है उक्त भूमि ग्राम कोटड़ी, झझू, नाला व हाड़ला ग्राम की सीमा उक्त खसरे से चिपती हुई है। इसलिए यह साबित करना मुश्किल है कि कौनसा खसरा वादी का है एवं कौनसा खसरा प्रतिवादीगण का है।

अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष इस आश्य का जवाब दावा भी प्रस्तुत किया गया था जिसे अनदेखा करते हुए अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत की आदेशिका दिनांक 05–10–2016 को अंकित किया गया कि प्रतिवादीगण को जवाब हेतु कई अवसर दिये जा चुके है जवाब बन्द किया जाता है। जबकि प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 06–12–2012 को ही जवाब दावा प्रस्तुत किया जा चुका था। अदालत मातहत द्वारा प्रतिवादी की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए पत्रावली में तारीख पेशी दी जाती रही है जबकि पत्रावली की आदेशिका दिनांक 04–01–2018 को अंकित किया गया कि वकील फरीकेन उपस्थित। जबकि पूर्व में प्रतिवादीगण को निरन्तर व लगातार अनुपस्थित अंकित किया जाता रहा है। अदालत मातहत का उक्त कृत्य स्वमेव प्रकरण में उनकी भूमिका पर संदेह पैदा करता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि प्रकरण में दिनांक 04—01—2018 को बहस सुनी गई। तत्पश्चात् दिनांक 30—01—2018 को पीठासीन अधिकारी अवकाश/भ्रमण/अन्य कार्यो में व्यस्त करने के कारण पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 14—02—2018 को पेश हो। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि जाब्ता दीवानी के प्रावधानों के तहत बहस सुनने के पश्चात् निर्णय एक माह के भीतर—भीतर किया जाना आज्ञापक प्रावधान है। यदि किसी परिस्थिति वश एक माह के भीतर निर्णय पारित किया जाना संभव नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में प्रकरण स्वमेव मजीद बहस हेतु रखा जाना होता है। अदालत मातहत द्वारा जाब्ता दीवानी के इस महत्वपूर्ण बिन्दु को दरकिनार करते हुए प्रकरण में सुनवाई के एक माह के उपरान्त निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो कानून के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत के समक्ष संशोधन दावे का प्रार्थना पत्र जाब्ता दीवानी के मुताबिक प्रस्तुत ही नहीं हुआ ना ही दावे में किसी प्रकार का कोई संशोधन किया गया। ऐसी स्थिति में दावे में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दफा 209 आरटीएक्ट के तहत प्रार्थना पत्र हुआ जिसमें संशोधन दावा का प्रार्थना पत्र नहीं माना जा सकता। ऐस स्थिति में संशोधन वाद पत्र रिकार्ड पर लिये बिना ही वाद पत्र में संशोधन किस प्रकार माना जा सकता है। प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा प्रस्तुत किया गया था ऐसी सूरत में धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता था। इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना ही अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित किया गया है। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि वादगत् भूमि पर वादीगण/रेस्पोडेन्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं है। अदालत मातहत को चाहिए था कि अपीलाधीन आदेश को पारित करने से पूर्व वादगत् भूमि की पैमाईश करवाते हुए वादगत् भूमि की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त किया जाना अपरिहार्य था। जो कि इस मामलें की मूल आत्मा थी। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष वाद में विभिन्न कानूनी पहलूओं को नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में बताया कि जब प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा प्रतिवादीगण का जवाब दावा ही बन्द कर दिया गया था तो ऐसी स्थिति में जवाबदावें के आधार पर तनकीयात् किस आधार पर कायम की गई। इसका कोई स्पष्ट कारण अंकित नहीं किया गया है। जबकि प्रतिवादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए अभिकथन किया गया था कि सेटलमेंट के दौरान वादग्रस्त आराजी को गलत रूप से पैमूद कर दिया गया था। इसी कारण पक्षकारों के मध्य सीमाज्ञान का विवाद उत्पन्न हो गया। जिसकी कार्यवाही तहसीलदार कोलायत के समक्ष जैरकार है। तहसीलदार कोलायत द्वारा वादीगण के प्रार्थना पत्र पर एक टीम गठित करते हुए पैमाईश के समय यह स्थिति उभर कर सामने आई कि सेटलमेंट द्वारा गलत नक्शा बना दिया गया जाने से विवाद उत्पन्न हुआ है। वादीगण का विवादित भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा तथा बिना कब्जे काश्त के अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट में वाद चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अदालत मातहत द्वारा इस महत्वर्पूण तथ्य को नजरअंदाज करते हुए बिना कब्जे काश्त की रिपोर्ट प्राप्त किये ही वादीगण का वाद डिक्री करने में कानूनी भूल कारित की है।

उन्होनें आगे बहस में बताया कि अदालत मातहत द्वारा जो तनकीयात् कायम की गई है उनको साबित करने का कोई अवसर प्रतिवादीगण को नहीं दिया गया है। अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही एकतरफा तौर पर की गई है। जबकि दावे जैसे महत्वपूर्ण प्रकरण जिसमें पक्षकारों के अधिकारों की धोषणा होनी होती है, पर एकतरफा तौर पर सुनवाई करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना न्यायिक प्रक्रिया का खुला उल्लंधन है। जिसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत को चाहिए था कि वादपत्र में नियमानुसार वादपत्र/जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए वादी एवं प्रतिवादीगण को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए, ब्यान वादी/प्रतिवादीगण व साक्ष्य पत्रावली पर लेते हुए आदेश पारित किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए मात्र वादीगण को बेजा फायदा पहुॅचानें की नियत मात्र से वादीगण का वाद डिक्री किया गया है। जो काबिले खारिज आदेश है।

इसके अतिरिक्त प्रकरण में यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि चूंकि वादगत् भूमि बीकानेर जिलें की कोलायत तहसील से संबंधित है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्राप्त था। लिहाजा प्रकरण को सुनवाई हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी को नियमानुसार प्रेषित किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होते हुए भी अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

वादगत् भूमि पर वादीगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। जबकि मौके की वास्तविक स्थिति यह है कि दावा दायरी के दिन से आज दिनांक तक मौके पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त रहा है। धारा 188 आरटीए के तहत वही व्यक्ति चिर निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकता है जिसका वाद दायरी के दिन मौके पर वास्तविक कब्जा काश्त हो। प्रकरण में वादीगण का वादगत् भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में वादीगण प्रकरण में चिर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के कब्जे काश्त के बाबत् कोई रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही मात्र वादीगण के अभिकथनों पर विश्वास करते हुए दावा डिक्री करने कानूनी भूल कारित की है।

प्रकरण में यदि तत्समय वादगत् भूमि के बाबत् मौके की वास्तविक स्थिति प्राप्त की जाती तो अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि के संबंध में सही स्थिति प्रकट हो जाती। इसप्रकार अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में निहित कानूनी प्रावधानों का उल्लंधन करते हुए वादीगण के पक्ष में दावा डिक्री किया गया है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में वादीगण द्वारा वादपत्र में धारा 88 व 188 के तहत अनुतोष चाहा गया था परन्तु अदालत मातहत ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर धारा 88 व 188 के साथ–साथ धारा 183 का अनुतोष भी वादीगण के पक्ष में जारी करने में कानूनी भूल कारित की है। इसप्रकार अदालत मातहत द्वारा जारी निर्णय व डिक्री कानूनी प्रावधानों व मौके वास्तविक स्थिति के विपरीत होने, एकतरफ तौर पर बिना प्रतिवादीगण को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये पारित किया जाना स्पष्ट

रूप से परिलक्षित होता है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश व डिक्री निरस्त करते हुए प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण को सुनवाई, सबूत व जवाब का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने तीनों अपीलों में कॉमन बहस करते हुए कथन किया कि वादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष अपने कब्जे काश्त की भूमि ग्राम चानी के खसरा नम्बर 396, 397, 377, 400 व खसरा नम्बर 401 के बाबत् चिर निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत द्वारा तमाम कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए वादीगण का वाद डिक्री किया गया है। प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि उन्हें अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में सुनवाई, सबूत व जवाब का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इस संबंध में कथन है कि प्रतिवादीगण/अपीलांट अदालत मातहत के समक्ष निरन्तर उपस्थित आते रहे है। जहॉ तक अपीलांट का यह कथन की अदालत मातहत को उनके समक्ष प्रस्तुत वाद को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था। इस संबंध में अभिकथन है कि प्रस्तुत वाद माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के आदेश दिनांक 23—11—2010 के अनुसरण में उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर को स्थानान्तरित किये जाने के फलस्वरूप प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा सुनवाई करते हुए आदेश जैर अपील पारित किये गये है। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन कि अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया गया है स्वीकार किये जाने योग्य कथन नहीं है। अतः अपीलांट की आपत्ति इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य होने खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने प्रकरण में आगे बहस करते हुए बताया कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वर्ष 2010 में वादगत् भूमि की धोषणा हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात् प्रतिवादीगण संख्या 1 दिनांक 16—09—2010 को अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आने पर पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र हेतु

निर्धारित की गई। प्रकरण में दिनांक 20—01—2011 को प्रतिवादी संख्या 3 ने उपस्थित आकर उनके विरूद्व हुई एकतरफा कार्यवाही को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत द्वारा एकतरफा कार्यवाही को निरस्त करते हुए प्रकरण जवाब प्रतिवादी हेतु निर्धारित किया गया। तत्पश्चात् पत्रावली निरन्तर दिनांक 01—02—2011 से करीब 33 पेशिओं के उपरान्त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की तरफ से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया।

इसप्रकार यह तथ्य भलीं भाति स्पष्ट है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर अदालत मातहत द्वारा प्रदान किया जा चुका था। जहॉ तक विद्वान अभिभाषक अपीलांट का यह कथन कि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादीगण द्वारा धारा 183 के अनुतोष की मांग नहीं किये जाने पर भी उक्त अनुतोष वादीगण को प्रदान किया गया है। इस संबंध में अदालत मातहत की आदेशिका के अवलोकन से स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि प्रकरण में वादीगण द्वारा धारा 209 आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 28—05—2014 को यह कथन किया गया कि इस प्रकरण में उनके सायल उनके सम्पर्क में नहीं है। अदालत मातहत द्वारा प्रतिवादीगण के समय प्रदान करते हुए आगामी पेशी पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु हिदायत प्रदान करते हुए आगामी दिनांक 18—06—2014 निर्धारित की गई। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता उक्त दिनांक को अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आये ऐसी स्थिति में प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब को ध्यान में रखते हुए वादीगण की बहस सुनी गई। इसप्रकार विद्वान अभिभाषक अपीलांट का यह कथन कतई स्वीकार योग्य नहीं है कि उन्हें सुनवाई, सबूत व साक्ष्य का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है, क्योंकि वे निरन्तर प्रतिवादीगण की तरफ से अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर पैरवी करते आ रहे है। अदालत मातहत द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 209 आरटीए के तहत स्वीकार करते हुए धारा 183 आरटीए की रिलिफ प्रदान की गई है।

प्रकरण में वादीगण द्वारा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 18—06—2014 की अनुपालना में दिनांक 21—07—2014 को

संशोधित वादपत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा उक्त संशोधित वादपत्र के बाबत् संशोधन जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु करीब 18 मौके प्राप्त करने के उपरान्त यह कथन किया गया कि उन्हें संशोधित वाद की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। प्रकरण में दिनांक 15—03—2016 को प्रतिवादीगण को संशोधित वादपत्र की प्रति उपलब्ध कराने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण द्वारा करीब सात माह तक जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा यह अभिलिखित करते हुए कि जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु काफी अवसर प्रदान किये जा चुके है। अतः प्रतिवादी का जवाब दावा बन्द किया जाकर मिसल वास्ते साक्ष्य वादी निर्धारित की गई। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा प्रतिवादीगण को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में आगामी कार्यवाही सम्पादित की गई है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में दिनांक 14—01—2017 को वादी की साक्ष्य लेते हुए मूल दावे व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के आधार पर नियमानुसार तनकीयात् कायम की गई। इस दरमियान प्रतिवादीगण जानबूझ कर अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आये। तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार तनकीयात् कायम करते हुए व प्रकरण में वादीगण की बहस सुनने के पश्चात् विधि अनुसार व प्रकरण की वस्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे कथन किया कि वादगत् भूमि वादीगण/रेस्पोडेन्ट की कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है। प्रतिवादीगण येन—केन—प्रकारेण वादगत् भूमि पर कब्जा करना चाहते है। जिसका उन्हें कोई अधिकार हासिल नहीं है। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में नियमानुसार तनकीयात् कायम की गई जिसके अनुसार तनकी संख्या 1 कायम की गई कि विवादित भूमि पर वादीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त होने से धोषणा कराने का अधिकारी है। इस संबंध में वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों के आधार पर अदालत मातहत द्वारा पाया गया कि वादीगण अभिलेखिय साक्ष्य से विवादति भूमि के निर्विवाद रूप से काबिज काश्तकार खातेदार होना साबित है।

इसी प्रकार तनकी संख्या 2 कायम की गई कि वे अभिलिखित खातेदार होने एवं काबिज होने के आधार पर डिक्री चिर निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्व पाने के अधिकारी है। इस संबंध में चूंकि तनकी संख्या 1 के माध्यम से वादीगण काबिज काश्तकार मानते हुए उक्त तनकी भी वादीगण के पक्ष में निर्णित की गई। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा तनकी संख्या 4 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर रखा गया था। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं आने पर व तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में साबित होने पर उक्त तनकी खिलाफ प्रतिवादीगण तय की गई। इसप्रकार अदालत मातहत द्वारा वाद की पूर्ण प्रक्रिया को अपनाते हुए नियमानुसार तनकी का विस्तृत विवेचन करते हुए उनके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य व अभिलेखों के आधार पर यह माना कि वादगत् भूमि के वादीगण काबिज काश्तकार व खातेदार होना साबित है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा प्रतिवादीगण को जवाब, साक्ष्य गवाह सबूत प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये है। फिर भी प्रतिवादी द्वारा कोई कार्यवाही अदालत मातहत के समक्ष नहीं की गई। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा तमाम कानूनी प्रकिया को अपनाते हुए नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व वादगत् भूमि पर कब्जे काश्त के आधार पर वादगत् भूमि का रेस्पोडेन्ट/वादीगण को खातेदार काश्तकार होना करार किया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपीलें खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोडेन्ट/वादीगण द्वारा दावा चिर निषेधाज्ञा व धोषणात्मक बाबत् खेत खसरा नम्बर 401, 400 व 396, 377 व 397 बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट/वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप उक्त अपीलें अपीलांट्स द्वारा अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा वाद की प्रक्रिया को नहीं अपनाते हुए एकतरफा तौर पर वादीगण का वाद स्वीकार किया गया है। प्रकरण में खेत खसरा नम्बर 158 मीन तादादी लगभग 650 बीघा भूमि थी जो भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सेटलमेंट के दौरान गलत नम्बर पैमूद हो गये। वादीगण द्वारा जो भूमि बताई जा रही है व गलत व मनगढ़त है व वर्तमान में उक्त भूमि के संबंध में सीमा ज्ञान का विवाद चल रहा है। तहसीलदार कोलायत की रिपोर्ट दिनांक 27–06–2010 में जो भूमि बताई गई है उक्त भूमि ग्राम कोटड़ी, झझू, नाला व हाड़ला ग्राम की सीमा उक्त खसरे से चिपती हुई है। इसलिए यह साबित करना मुश्किल है कि कौनसा खसरा वादी का है एवं कौनसा खसरा प्रतिवादीगण का है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को वादगत् भूमि के मौके की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त करते हुए व प्रतिवादीगण को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना चाहिए था।

(3) हमने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व पत्रावली में उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। जहॉ तक प्रकरण में अपीलांट का मामलें में तकनीकी बिन्दुओं के संबंध में कथन है कि उन्हें अदालत मातहत के समक्ष सुनवाई, सबूत, साक्ष्य व गवाहान् आदि प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय प्रदान नहीं किया गया है।

इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली की आदेशिकाओं का अवलोकन किया गया। उक्त आदेशिकों के अवलोकन करने मात्र से स्पष्ट है कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वर्ष 2010 में वादगत् भूमि की धोषणा हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवादीगण संख्या 1 दिनांक 16–09–2010 को अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आने पर पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र हेतु निर्धारित की गई। प्रकरण में दिनांक 20–01–2011 को प्रतिवादी संख्या 3 ने उपस्थित आकर उनके विरूद्व हुई एकतरफा कार्यवाही को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत द्वारा एकतरफा कार्यवाही को निरस्त करते हुए प्रकरण जवाब प्रतिवादी हेतु निर्धारित किया गया। तत्पश्चात् पत्रावली निरन्तर दिनांक 01–02–2011 से करीब 33 पेशिओं के उपरान्त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की तरफ से

जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। इसप्रकार यह तथ्य भलीं भाति स्पष्ट है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर अदालत मातहत द्वारा प्रदान किया जा चुका था।

(4) प्रस्तुत मामलें में अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी उभर कर सामने आया है कि प्रतिवादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 06—07—2011 को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए दावा बार्ड बाई लॉ होने के कारण दावा इस बिन्दु पर निरस्त करने की इस्तदुआ की गई थी।

अदालत मातहत द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् आदेश दिनांक 14—09—2011 पारित करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी अस्वीकार किये गये।

(5) प्रकरण में जहॉ तक विद्वान अभिभाषक अपीलांट का यह कथन अदालत मातहत द्वारा धारा 183 के अनुतोष की मांग नहीं किये जाने पर भी उक्त अनुतोष वादीगण को प्रदान किया गया है।

इस संबंध में अदालत मातहत की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में वादीगण द्वारा धारा 209 आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 28—05—2014 को यह अभिकथन किया गया कि प्रस्तुत मामलें में सायल उनके सम्पर्क में नहीं है। अदालत मातहत द्वारा प्रतिवादीगण के इस कथन पर विश्वास करते हुए प्रकरण में प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को नियमानुसार समय प्रदान करते हुए आगामी पेशी दिनांक 18—06—2014 निर्धारित की गई। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता उक्त दिनांक को अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर वादीगण की बहस सुनी गई। इसप्रकार विद्वान अभिभाषक अपीलांट का यह कथन कतई स्वीकार योग्य नहीं है कि उन्हें सुनवाई, सबूत व साक्ष्य का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है, क्योंकि वे निरन्तर प्रतिवादीगण की तरफ से अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर पैरवी करते आ रहे है। अदालत मातहत द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

धारा 209 आरटीए के तहत स्वीकार करते हुए धारा 183 आरटीए की रिलिफ प्रदान की गई है।

(6) जहॉ तक अपीलांट का यह कथन की अदालत मातहत को उनके समक्ष प्रस्तुत वाद को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था। इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली की आदेशिकाओं का अवलोकन किया गया। उनके अवलोकन पर पाया गया कि प्रस्तुत वाद माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के आदेश दिनांक 23—11—2010 के अनुसरण में उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर को स्थानान्तरित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये थे। उक्त आदेश की अनुपालना में पत्रावली सहायक कलेक्टर बीकानेर के न्यायालय से स्थानान्तरित होकर उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्देशों की पालना में प्रकरण में सुनवाई करते हुए आदेश जैर अपील पारित किये गये है। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन कि अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया गया है स्वीकार किये जाने योग्य कथन नहीं है।

(7) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा की गई तमाम कार्यवाही से यह तथ्य स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आता है कि अपीलांट/प्रतिवादीगण अदालत मातहत के समक्ष निरन्तर प्रतिपेशी उपस्थित रहे हैं तथा अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में की जा रही तमाम कार्यवाही की उन्हें सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध थी। अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में येन—केन—प्रकारेण विलम्ब किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलांट/प्रतिवादीगण का यह कथन कि उन्हें अदालत मातहत के समक्ष सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अतः अपीलांट की दौराने बहस उठाई गई यह आपत्ति खारिज की जाती है।

(7) जहॉ तक प्रकरण में गुणावगुण का प्रश्न है, प्रस्तुत मामलें में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट/वादीगण द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए व संशोधित प्रार्थना पत्र के आधार पर धारा 183 आरटीए के तहत प्रस्तुत किये जाने पर मामलें की परिस्थितियों को

ध्यान में रखते हुए व वादपत्र व प्रतिवादीगण के जवाब दावे के आधार पर नियमानुसार तनकीयात् कायम की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकीयात् वादगत् मूल दावे की आत्मा के पोषण व रेस्पोडेन्ट/वादीगण के कब्जे काश्त व को दृष्टिगत रखते हुए कायम की गई है।

(8) अदालत मातहत द्वारा प्रस्तुत दावे में तनकी संख्या 1 कायम की गई कि विवादित भूमि पर वादीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त होने से धोषणा कराने का अधिकारी है। इस संबंध में वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों यथा जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 के आधार पर व बैयनामा बबली बहक मंगेज सिंह, बैयनामा बबली बहक पृथ्वीराज, बैयनामा पृथ्वीराज सिंह बहस कुतादेवी, बैयनामा प्रकाशवती बहस गणेशसिंह, बैयनामा हर्षवर्धन सिंह बहक कुंता कंवर, बैयनामा मदनलाल बहक गणेशसिंह, बैयनामा हर्षवर्धनसिंह बहक कुंताकंवर के आधार पर अदालत मातहत द्वारा पाया गया कि वादीगण अभिलेखिय साक्ष्य से विवादति भूमि के निर्विवाद रूप से काबिज काश्तकार खातेदार होना साबित है।

(9) इसी प्रकार तनकी संख्या 2 कायम की गई कि वे अभिलिखित खातेदार होने एवं काबिज होने के आधार पर डिक्री चिर निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्व पाने के अधिकारी है। इस संबंध में यदि किसी रिकार्डेड खातेदार को बेदखल करने की चेतावनी या धमकी प्रदान की जाती है तो ऐसी स्थिति में उसे न्यायालय के माध्यम से उक्त व्यक्ति के विरूद्व चिर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। प्रकरण में चूंकि तनकी संख्या 1 के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि वादीगण काबिज खातेदार काश्तकार है। अतः हुए उक्त तनकी भी वादीगण के पक्ष में निर्णित की गई।

(10) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा तनकी संख्या 3 कायम की गई कि प्रतिवादीगण द्वारा दौराने दावा वादीगण की भूमि पर जबरन प्रवेश कर लिया गया है इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व बेदखली की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। इस संबंध में अदालत मातहत द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर पाया की प्रतिवादीगण द्वारा दौराने वाद

वादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। इस संबंध में अदालत मातहत द्वारा प्रतिवादीगण की हैसियत अतिक्रमी मानते हुए उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व तय करने में कोई कानूनी भूल कारित नहीं की है।

(11) इसी प्रकार तनकी संख्या 4 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर रखा गया था। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं आने पर व तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में साबित होने पर उक्त तनकी खिलाफ प्रतिवादीगण तय की गई। इसप्रकार अदालत मातहत द्वारा वाद की पूर्ण प्रक्रिया को अपनाते हुए नियमानुसार तनकी का विस्तृत विवेचन करते हुए उनके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य व अभिलेखों के आधार पर यह माना कि वादगत् भूमि के वादीगण काबिज काश्तकार व खातेदार होना साबित है।

(12) प्रस्तुत मामलें में अदालत मातहत की आदेशिकाओं के अवलोकन मात्र से यह तथ्य स्पष्ट रूप से फलीभूत होता है कि अदालत मातहत द्वारा प्रतिवादीगण को जवाब, साक्ष्य, गवाह, सबूत प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज करने की इस्तदुआ भी की जा चुकी है।

इसी क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील दिनांक 14—02—2018 को पारित किया गया था। प्रतिवादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 27—02—2018 को अर्थात मात्र 13 दिवस के भीतर नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए आदेश जैर अपील की नकल प्राप्त की गई है। इस प्रकार यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा निरन्तर अदालत मातहत द्वारा की जा रही तमाम कार्यवाही पर निगरानी रखी जा रही थी। जबकि प्रस्तुत प्रकरण वर्ष 2010 से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार था फिर भी प्रतिवादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर कोई कार्यवाही नहीं की गई। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण में यह स्थिति उभर कर सामने आती है कि अपीलांट द्वारा मात्र तकनीकी बिन्दु का सहारा लेकर प्रकरण को येन—केन—प्रकारेण रिमाण्ड करवाने का

प्रयास अपनी बहस के माध्यम से किया जाना परिलक्षित होता है। जिसे प्रकरण की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत द्वारा तमाम कानूनी प्रकिया को अपनाते हुए नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व वादगत् भूमि पर कब्जे काश्त के आधार पर वादगत् भूमि का रेस्पोडेन्ट/वादीगण को खातेदार काश्तकार होना करार किया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपीलें खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 14—02—2018 यथावत बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 09.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर